कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 6207419016

पत्रांक : 01/यो0ब0–09/2024– 612 दिनांक :- 24.09.2026

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/ पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/ साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में कार्यान्वित की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत फलदार एवं काष्ठ प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु **रू0 131.04 (एक करोड़ एकतीस लाख चार हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन–लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–21/2019–18/स्वी0 व0प0 दिनांक 15.10. 2025 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0 21/2019– 48 OA व0प0 दिनांक 25.06.2026 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष–55 मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल **रू0 131.04 (एक करोड़ एकतीस लाख चार हजार रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

क्र.सं.	प्राथमिक इकाई	राशि (लाख में)
1	मजदूरी	43.78
2	आपूर्ति एवं सामग्री	87.26
	कुल योग :–	**131.04**

2. वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस राशि से राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित विभागीय प्रक्रिया एवं प्रजातियों के अनुसार अपनी निजी भूमि पर करवाए गए (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर रैखिक वनरोपण) वृक्षारोपण पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए व्यय किया जाएगा।

3. प्रमंडलवार उप–आवंटित की जा रही राशि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी **अनुलग्नक–1** पर पर द्रष्टव्य है, जिसके अनुसार लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए देय प्रोत्साहन राशि के लिए विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित कार्य दर **अनुलग्नक–2(क) एवं 2(ख)** पर संलग्न है तथा ऑन लाईन उप–आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर संलग्न है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों को कोषागार के माध्यम से DBT द्वारा उनके बैंक खाते/डाकघर खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा।

4. मुख्यमंत्री जन वन योजना के MIS application में व्यापक सुधार कराया गया है, जिसमें प्रत्येक लाभुक से संबंधित वांछित सूचनाओं को upload किये जाने एवं प्रभारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा उसे approve करने के उपरांत auto generated भुगतान पर्ची बनता है, उन्हीं भुगतान पर्ची के आधार पर भुगतान कोषागार के माध्यम से सीधे लाभुकों के खातों में किये जाए एवं मुख्यमंत्री जन वन योजना के Website पर upload किया जाए।

5. प्रोत्साहन राशि का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या–04/यो0बजट–79/2015/2005 दिनांक–14.05.2018 की कंडिका–6.6, 7.1, 7.2 एवं 7.4 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998, पत्रांक–1800/वि0 दिनांक–15.07.2003 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरुप किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास नियंत्री पदाधिकारी को सहयोग करेंगे एवं निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :–

    (i) योजनांतर्गत निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

    (ii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

    (iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

    (iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास निर्गत करेंगे। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट करायेंगे।

    (v) कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय तथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि। ऐसी योजना ग्रामीण विकास विभाग MGNREGA जोहार/JSLPS के तहत तथा कृषि, पशुपालन, मतस्य, सहकारिता विभाग NHM (हॉर्टीकल्चर के तहत), अनु0जन0अनु0जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी

कार्यान्वित करता है। दोहरीकरण से बचने हेतु सभी Data Base Exchange किया जाय। स्थल निरीक्षण वन विभागीय पदाधिकारी/कर्मी करें तथा कोडिनेट के साथ योजना प्रारम्भ के पूर्ण तथा विभिन्न चरणों का ब्यौरा record में संधारित हो।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तद्नुसार सत्यापित एवं update रहे।

11. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(i) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2025–26 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ii) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(iii) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (i). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) योजना में निर्माण संबंधी कार्यों के लिए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य किये जायेंगे।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय JOHAR पोर्टल एवं विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय।

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक/डाकघर खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में यिा जाय।

(ix) Income tax(IT)/ Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/Sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(x) कंडिका–ix के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO/ सदस्य सचिव का होगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

14. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक

महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

21. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए है तथा वित्तीय अनुशासन का का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

22. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

23. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या–2517 दिनांक–24.06.2026 का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

24. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा–निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

25. वित्तीय वर्ष 2026–27 में क्षेत्रों से प्राप्त उत्तरजीविता प्रतिवेदन के आधार पर राशि का उप–आवंटन किया जा रहा है। कृषकों को उत्तरजीविता के आधार पर राशि का भुगतान करेंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

24/9

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
Varun Kr. झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–09/2024–** 612 दिनांक– 24.09.2026

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग एवं पलामू/संथाल परगना, दुमका /क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ जमशेदपुर/ इनविस सेंटर, राँची/पी0एम0यू0 सेल, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

24/9

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
Varun Kr झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–09/2024–** 612 दिनांक– 24.09.2026

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ दुमका/ हजारीबाग/ चाईबासा/ पाकुड़/ सरायकेला/ साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

24/9

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
Varun Kr. झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में कार्यान्वित की जानेवाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" (अन्य व्यय) अन्तर्गत नीजि भूमि पर काष्ठ एवं फलदार प्रजाति के पौधों (काष्ठ प्रजाति 445 एवं फलदार प्रजाति 160 पौधा प्रति एकड़ ट्रेंच घेरान के साथ) का वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष हेतु प्रमंडलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (उत्तरजीविता के आधार पर पौधों की संख्या)			वित्तीय लक्ष्य (लाख में)		
		फलदार प्रजाति	काष्ट प्रजाति	कुल	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढवा	3408	6692	10100	0.62	1.20	1.82
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	62400	308719	371119	20.08	41.35	61.43
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	162	166	328	0.02	0.04	0.06
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	308	0	308	0.03	0.05	0.08
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड वन प्रमण्डल, पाकुड	128496	244475	372971	22.84	44.31	67.15
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	80	0	80	0.01	0.01	0.02
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	2070	0	2070	0.18	0.30	0.48
	कुल योग :–	**196924**	**560052**	**756976**	**43.78**	**87.26**	**131.04**

24/9

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
Varun Kr. झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : ''मुख्यमंत्री जन वन योजना''(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 160 पौधे (फलदार/ कलमी पौधे)

स्पेसिंग 5 मी. X 5 मी. प्रजातियाँः– कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची आदि

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2026–27 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 468/–							
1	दो कोड़नी–निकौनी	एकड़	4.00	1872.00	0.00	1872.00	8.78	
2	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/उरिया, जैविक किटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	1120.00	1120.00	5.25	
3	पानी पटवन		0.00	0.00	2000.00	2000.00	9.38	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		4.00	1872.00	3120.00	4992.00	23.40	

(हस्ताक्षर) 24/9/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

Varun Kr.

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : ''मुख्यमंत्री जन वन योजना''(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. एवं मेड के किनारे 2 मी0 x 2 मी0

प्रजातियाँ–शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी,क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	लाभुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (75 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2026–27 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 468/–							
1	एक कोड़नी–निकौनी	एकड़	6.00	2808.00	0.00	2808.00	4.73	
2	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/उरिया, जैविक कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	631.90	631.90	1.07	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	5560.00	5560.00	9.37	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लाभुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		**6.00**	**2808.00**	**6191.90**	**8999.90**	**15.17**	

24/9

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

Varun Kr.

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-09/2024/612 दिनांक - 24-Sep-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110255000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68181	GRHFWL003 CHATURANAND TRIPATHI DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	62,000.00 रुपये बासठ हजार
2	S 19 24060110255000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68182	DMKFOR003 SOURAV CHANDRA D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	2,008,000.00 रुपये बीस लाख आठ हजार
3	S 19 24060110255000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68185	HZBFWL007 AJAY KUMAR D F O S F DIVISION HAZARIBAGH 03 - मजदूरी	2,000.00 रुपये दो हजार

योग: रुपये बीस लाख बहत्तर हजार 2,072,000.00

क्रमिक योग:

(DESETTI VENKATESWARLU) 24/9

ADDL PCCF DEV JHARKHAND RANCHI

Varun Kr

Run Date: 24/9/2026

संख्या - 01/YB-09/2024/612 दिनांक - 24-Sep-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110255000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68187	SGHFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV. 03 - मजदूरी	3,000.00 रुपये तीन हजार
5	S 19 24060110255000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68188	PKRFOR001 SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	2,284,000.00 रुपये बाइस लाख चौरासी हजार
6	S 19 24060110255000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68189	SKLFOR001 SHABA ALAM ANSARI I/C D.F.O.SERAIKELLA-KHARSAWA 03 - मजदूरी	1,000.00 रुपये एक हजार

योग: रुपये तीरयालीस लाख साहठ हजार 2,288,000.00

क्रमिक योग: 4,360,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU) 24/9

ADDL PCCF DEV JHARKHAND

Varun Kr. RANCHI

Run Date: 24/9/2026

संख्या - 01/YB-09/2024/612 दिनांक - 24-Sep-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110255000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68191	SBJFOR001 PRABAL GARG DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 03 - मजदूरी	18,000.00 रुपये अठारह हजार
8	S 19 24060110255000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68194	GRHFWL003 CHATURANAND TRIPATHI DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	120,000.00 रुपये एक लाख बीस हजार
9	S 19 24060110255000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68195	DMKFOR003 SOURAV CHANDRA D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	4,135,000.00 रुपये इकतालीस लाख पैंतीस हजार

योग: रुपये छियासी लाख तैंतीस हजार 4,273,000.00

क्रमिक योग: 8,633,000.00

24/9

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Varun Kr

Run Date: 24/9/2026

संख्या - 01/YB-09/2024/612 दिनांक - 24-Sep-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110255000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68197	HZBFWL007 AJAY KUMAR D F O S F DIVISION HAZARIBAGH 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	4,000.00 रुपये चार हजार
11	S 19 24060110255000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68199	SGHFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	5,000.00 रुपये पाँच हजार
12	S 19 24060110255000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68202	PKRFOR001 SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	4,431,000.00 रुपये चवालीस लाख इकतीस हजार

योग: 4,440,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड तीस लाख तीहत्तर हजार 13,073,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

24/9

Varun Kr

Run Date: 24/9/2026

संख्या - 01/YB-09/2024/612 | दिनांक - 24-Sep-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110255000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68204	SKLFOR001 SHABA ALAM ANSARI I/C D.F.O.SERAIKELLA-KHARSAWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,000.00 रुपये एक हजार
14	S 19 24060110255000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	68205	SBJFOR001 PRABAL GARG DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30,000.00 रुपये तीस हजार

योग: 31,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड इकतीस लाख चार हजार 13,104,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 24/9/2026